प्रकरण संख्या 49/2020 दलसिंह बनाम भोलसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जोधा का तालाब, तहसील बड़गांव में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के संयुक्त खातेदारी की खाता संख्या नये 142 व पुराने 136 की आराजियात स्थित हैं, जिनका वर्णन वाद पत्र के साथ संलग्धन परिशिष्ट ''क'' में किया जाकर कुल किता 27 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा है, उसमें वादी का 1/2 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' वर्णित मौजा टांकडा की भागला, तहसील बड़गांव की खाता संख्या नये 218 व पुराने 219 की आराजियात कुल किता 13 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त आराजियात का अभी विभाजन नहीं हुआ है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसका पुत्र प्रतिवादी संख्या 7 आये दिन विवाद उत्पन्न करते हैं। अतः उक्त आराजी का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.08.2015 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 08.06.2017 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06.07.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जी.सी. मेहता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट बुजुर्ग व्यक्ति होकर राजस्व कर्मचारियों द्वारा किये गये विभाजन [illegible] रहा, लेकिन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:13:59 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर विवाद होने से अधीनस्थ न्यायालय के अंतिम डिक्री की जानकारी दिनांक 02.03.2020 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्याायाल की अंतिम डिक्री दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.07.2020 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील की समयावधि 60 दिवस है। अर्थात अपील दिनांक 07.08.2017 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार अपील करीब 3 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए अपीलान्ट ने कारण मात्र यह बताया है कि वह बुर्जुग व अनपढ़ होने से राजस्व कर्मचारियों के विभाजन पर विश्वास करते रहें। अपीलान्ट का उक्त कथन उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता। केवल अपीलान्ट के अनपढ़ एवं बुर्जुग होने के आधार पर 3 वर्ष की मयाद को कण्डोन किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विभाजन तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि राजस्व कर्मचारियों ने मनमाफिक तरीके से विभाजन कर दिया है तथा कई आराजियात का विभाजन नहीं कर उसे शामिल रखा गया है। आराजी नंबर 258, 259, 264, 268 कुल किता 4 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा एवं आराजी नंबर 2858 व 2860 कुल किता 2 रकबा 3 बीघा भूमि का विभाजन ही नहीं किया गया है तथा उपजाउ भूमि रेस्पोन्डेन्ट के हिस्से में रखी जाकर अपीलान्ट के हिस्से में मगरी भूमि रखी गयी है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त किया जावे अंतिम डिक्री पुनः जारी की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने [illegible] राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण [illegible] पर करने का निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:13:59 IST
Reason: SelfAttested

किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बंटवारे एवं नक्शा ट्रेस पर स्वयं अपीलान्ट दलसिंह के हस्ताक्षर हैं। अर्थात फर्द बंटवारा वादी/अपीलान्ट की उपस्थिति में तैयार किया गया है, किन्तु उस वक्त उसके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं राजस्व रेकार्ड के अनुसार ही विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 11/2014 में पारित अंतिम डिक्री दिनांक 08.06.2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:13:59 IST
Reason: SelfAttested